

FORM NO.111

फैद अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

धूजाराम

बनाम

बाबूलाल वगैरे

किस्म मुकदमा-इजराय

मुकदमा नम्बर- 27 / 2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

जज या जजिनी
अहकाम या हुक्म
मुक्कम की तारीख में
जारी हुवे

22.09.2023

वकील डिकीदार श्री आदित्य प्रताप सिंह नरुका एडो ने उपस्थित होकर इजराय पार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 23.10.2023 को पेश हो।

विलियम सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

23/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्केन उपस्थित / पीज अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/10/23 को पेश हो।

28/11/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्केन उपस्थित / पीज अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/11/23 को पेश हो।

4-3-25

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में पटवारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 903 दिनांक 22.01.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किय जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख-25.

303

दि 22.01.24

पत्रावली

